

८०-४२ (R)

(22)
16

दायरी नं. ०९५५५५-५
Dy. No. ९६ १९८ E-४
दिनांक/Date: २१/३/१५

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिरूचना

"बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" के नियम-२ (अ) के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा साम्यक विद्यारोपणत बिहार राज्य के सन्दर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अधानों को लागू करने के लिए निम्न प्राधिकार को "स्थानीय प्राधिकार" घोषित किया जाता है।

प्राथमिक विद्यालयों के लिए :— याम पंचायत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए याम पंचायत की "शिक्षा समिति"। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की "सशक्त स्थायी समिति"।

मध्य विद्यालयों के लिए :— प्रखण्ड के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों के लिए पंचायत समिति की "शिक्षा समिति"। नगर क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की "सशक्त स्थायी समिति"।

स्थानीय प्राधिकार के निम्न दायित्व एवं कार्य होंगे :—

- प्रत्येक टीला/गौव के लिए पहलेस का विद्यालय नियमित करना।
- ६-१४ आयुवर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन/यह सुनिश्चित करना कि एक ही बच्चा का दो विद्यालयों में नामांकन नहीं हो।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुब्रवण करना तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- बच्चों के बीच भेदभाव नहीं हो, इसे देखना एवं दूर करने का सुधार करना।
- बच्चों का अभिलेख संधारित करना।
- विद्यालयों का समय पर संचालन।

उपर्युक्त स्थानीय प्राधिकार के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को लागू करने से सम्बंधित कोई भी शिकायत सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार को दी जा सकती है। स्थानीय प्राधिकार हाँड़ शिकायत प्राप्ति के तीन माह के अन्दर मामले का निष्पादन किया जायेगा। मामले के निष्पादन हेतु विकापतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा।

स्थानीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्ता बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के पास अपील दायर कर सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

२०१३
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ves (AS)
20/3/15
GO (EEK)
20/3/15
Chandan

ज्ञापाक - ८/४३-३४/२०१२ ७०७ / पटना, दिनांक - २७/०९/२०१२

प्रतिलिपि—राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक (प्राथमिक)/सभी विद्यालयिकारी/सभी दोनों शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रमुख पंचायत समिति/सभी मुख्य ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापाक - ८/४३-३४/२०१२ ७०७ / पटना, दिनांक - २७/०९/२०१२

प्रतिलिपि—सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली-११० को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापाक - ८/४३-३४/२०१२ ७०७ / पटना, दिनांक - २७/०९/२०१२

प्रतिलिपि—आप सचिव मानवीय शिक्षा मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापाक - ८/४३-३४/२०१२ ७०७ / पटना, दिनांक - २७/०९/२०१२

प्रतिलिपि—अवर सचिव, वित्त विभाग को बिहार गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।